कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक 22.06.2021

आदेश
(संख्या :– २७७ /2021)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1969/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad Dated 21-06-2021 के अनुपालन में दिनॉक 23.06.2021 से जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभी न्यायालयो में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशो के अधीन न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु न्यायालयो को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अण्डर ट्रायल बन्दियो का रिमाण्ड सम्बन्धित कार्य विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। यदि कोई तक्नीकी समस्या उत्पन्न होती है तो अन्य माध्यम का भी उपयोग किया जा सकता है।

सभी न्यायालयो के पीठासीन अधिकारीगण आवश्यक प्रकृति वाले वादो को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

नये वाद/प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्पयूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेगें। प्रार्थना पत्रो पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाइल नम्बर अंकित होगा जिससे कोई कमी होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।

जनपद न्यायालय की ई–मेल पर भी जमानत प्रार्थना पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व लिखित बहस वैकल्पिक आधार पर प्रेषित किये जा सकते है।

सभी न्यायालय कक्षो में 4 कुर्सिया पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जाये जिससे कि उचित सोशल डिस्टेंन्सिग कायम रखी जा सके। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रवन्ध किया जायेगा। न्यायालय के रीडर व लिपिक आदि कर्मचारीगण भी सोशल डिस्टेंन्सिग गाईडलाईन्स का पालन करेगें।

न्यायालयो के पीठासीन अधिकारी पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय में न्यायालय कक्षो में कम से कम उपस्थिति के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें, जिससे सोशल डिस्टेंन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त न्यायालयो के पीठासीन अधिकारीगण समय–2 पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें।

पक्षकारों द्वारा लिखित बहस केन्द्रीयकृत कम्पयूटर कक्ष/जुडिशियल सर्विस सेंटर पर दाखिल की जा सकेगी, जिन्हे कम्पयूटर अनुभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायालयो को प्रेषित कर दिया जायेगा।

केवल वही अधिवक्ता कचहरी परिसर में प्रवेश करेंगे, जिनका वाद दिनांक विशेष पर नियत होगा।

वादी एवं उनके प्रतिनिधि का कचहरी परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।

अति आवश्यक वादो के निस्तारण में आवश्यक गवाहो के बयान अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के उपरांत ही दर्ज किये जा सकेंगे।

अतः दिनॉक 23.06.2021 से जनपद न्यायालय गाजियाबाद के सभी न्यायालय व कार्यालय खोले जायेगें, इसलिए जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण व तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने–2 न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना–2 कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें एवं कार्य समाप्त होने के उपरांत न्यायालय परिसर को छोड़ देंगे।

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एवं केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर का सेनिटाईजेशन एवं न्यायालय के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर, प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगें।

राज्य सरकार के गाईडलाईन संख्या 1054/2021-सीएक्स-3 गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 19.06.2021 के पैरा 18 के अनुसार उपरोक्त गाईडलाईन केवल उन्हीं जिलो पर लागू होगी, जिनमें कोविड-19 के एक्टिव केसो की संख्या 500 से कम हैं, कोविड-19 के एक्टिव केसो की संख्या 500 से ज्यादा होने पर न्यायालय के संचालन हेतु पूर्व में प्राप्त गाईडलाईन लागू होंगी।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

22-06-2021

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghazlabad